

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/1647/2020 दिनांक :27.02.2020

श्री चन्द्रशेखर पारीक (RJ1080), अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-34, जयपुर महानगर (चाकसू) को दिनांक 11.03.2020 से 13.03.2020 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 08.03.2020 से 10.03.2020 एवं 14.03.2020 से 15.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री पारीक की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-20, जयपुर महानगर (सांगानेर) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-34, जयपुर महानगर (चाकसू) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

26.2.2020


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/68/2016/1446

दिनांक 27.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर को उनके पत्रांक 1875 दिनांक 14.02.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्री चन्द्रशेखर पारीक (RJ1080), अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-34, जयपुर महानगर (चाकसू)।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-34, जयपुर महानगर (चाकसू)।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-20, जयपुर महानगर (सांगानेर)।


27.2.2020
सहायक रजिस्ट्रार